लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 01/2026
जीसीएमएस सं. 2026/10

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री अब्दुल मजीद पिता श्री स्व. मिरमोहम्मद निवासी– राजतलाब बाहर न्यू सरगढवाडा, बांसवाडा।	बनाम	**अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) जिला बांसवाडा**

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–02–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 19–12–2025 (पोस्टल ऑर्डर सं. 52एफ 447806) प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 18–02–2026 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक एफ 40(1) एडीएम/ आरटीआई/2026/ दिनांक 20–02–2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1)(बी) के तहत विशिष्ठियाँ (आदेश/ पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:29 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाड़ा (राज.)

इत्यादि का विवरण) अपेक्षित है। उक्त विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है। इस बाबत् अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 1–3 दिनांक 14.01.2026 से नियमानुसार समयावधि के भीतर सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 19–12–2025 (पोस्टल ऑर्डर सं. 52एफ 447806) से गन ट्रांसफर करने आदेश प्रदान करने निवेदन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 40(1) एडीएम/ आरटीआई/ 2026/ 1–3 दिनांक 14–01–2026 से विशिष्ठियाँ (आदेश/ पत्र इत्यादि का विवरण) अपेक्षित होने तथा विवरण उपलब्ध करवाये जाने पर वांछित सूचना रेकार्ड की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध करवाये जाने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से यह अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:29 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इंद्रजीत यादव) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)